न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 146 / 2022

1. गुडडी देवी पत्नी स्व0 बीरबलराम जाति जाट आयु 65 वर्ष निवासी महियांवाली तह० व जिला श्री गंगानगर ।
2. अनसूईयां पुत्री स्व० बीरबल जाति जाट आयु 24 वर्ष निवासी महियांवाली तह० व जिला श्री गंगानगर

– – प्रार्थीगण

बनाम

1. जयपाल पुत्र स्व0 बीरबलराम जाति जाट निवासी महियांवाली तह0 व जिला श्री गंगानगर ।
2. गुडडी पुत्री स्व0 बीरबलराम जाति जाट निवासी महियांवाली तह० व जिला श्री गंगानगर ।
3. महेशू पुत्री स्व0 बीरबलराम जाति जाट निवासी महियांवाली तह0 व जिला श्री गंगानगर ।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्री गंगानगर
5. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा महियांवाली जरिये शाखा प्रबंधक ।

—– अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 212 राज. काश्त. अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री जसवीर सिंह मिशन – – प्रार्थीगण
2. श्री दिनेश छाबड़ा – – अप्रार्थीगण 1 व 3

–:: आदेश ::–

दिनांक :–13.10.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रक[illegible] है कि उपरोक्त [illegible] वाद श्रीमान न्यायालय में पेश किया जा चुका है जिसमें अंकित [illegible] इस प्रार्थना पत्र के तथ्यों के में पढा जावे जिससे [illegible] । वाद अंकित तथ्यों, दस्तावेजी साक्ष्यों एवं प्रार्थिया के शपथ पत्र [illegible] प्राईमा फैसाई केस 2. सुविधा का संतुलन, 3. अपरिमिय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के हक में साबित है अतः ता फैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा [illegible]री करना आवश्यक

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 15:48:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

है। प्रार्थीया सं0 1 के पति, प्रार्थीया सं0 2 व अप्रार्थी सं0 1 ता 3 के पिता स्व० बीरबलराम पुत्र कानाराम को अपने पिता से विरासतन में भूमि प्राप्त हुई, बीरबलराम ने अपने जीवनकाल में दो विवाह किये, पहला विवाह गिरदावरी के साथ किया जिसका देहांत अरसा करीब 40 साल पूर्व हो गया तथा दूसरा विवाह प्रार्थीया सं0 1 के साथ किया जिससे प्रार्थीया सं0 2 पैदा हुई तथा बीरबलराम की पहली पत्नी गिरदावरी से अप्रार्थी सं० 1 ता 3 पैदा हुए, अतः इन तीनों की परवरिश व पालना प्रार्थीया सं० 1 द्वारा की गई जो कि अब अलग रहते है। स्व० बीरबल के नाम चक 8 एम एल पटवार हल्का महियांवाली तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 33/27 मु0 न0 5,7, 41 की कुल 4.597 है0 तथा चक 7 एमएल पटवार हल्का महियांवाली तह० श्री गंगानगर के खाता सं0 56/58 मु० न० 43 की 0.126 है० खातेदारी दर्ज है जमाबंदी की नकलें शामिल है। बीरबल का देहांत 27.05.21 को हुआ, मृत्यु प्रमाण पत्र की नकल शामिल है। स्व० बीरबल ने अपने जीवनकाल में चूंकि प्रार्थीया सं0 1 ने ही अप्रार्थी सं० 1 ता 3 का पालन पोषण किया था तथा उनको माता के समान स्नेह तथा प्यार दिया, इसी कारण बीरबल ने अपनी उपरोक्त भूमि के सम्बंध में पारिवारिक मौखिक समझौता द्वारा 1/2 हिस्सा भूमि प्रार्थीगण को तथा शेष 1/2 हिस्सा अप्रार्थी सं० 1 ता 3 को दिया गया व इसी अनुसार काबिज चले आ रहे है, अतः प्रार्थीगण का स्व० बीरबल की उपरोक्त भूमि दोनों चकों की 4.719 है0 में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा है। अब अप्रार्थीगण 1 ता 3 के मन में गलत लालच आ गया है तथा वह समस्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवाकर भूमि को मुंतकिल करने व प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने के प्रयास में है, यदि वह इसमें सफल हो गए तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा, दावा का मकसद समाप्त होगा तथा मौके पर कभी कोई अप्रिय घटना होकर जानमाल का नुकसान हो सकता है। लिहाजा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश करके अर्ज है कि ता फैंसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण इस अमर की सादिर की अप्रार्थीगण चक 8 एमएल पटवार हल्का महियांवाली तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 33/27 मु0 न0 5, 7, 14, 41 की कुल 4.597 है० व चक 7 एमएल के खाता सं0 56/58 मु० न० 43 की 0.126 है0 कुल 4.719 है0 में से किसी भूमि को रहन बैय मुंतकिल करने तथा रहे। प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में मदाखलत करने से बाज व ममनु रहे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया, जिससे जवाब प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. बंद किया गया।

वकील उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा बहस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर मूल वाद तक स्थगन कन्फर्म करने का निवेदन किया गया। वकील अप्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि यदि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 15:48:52 IST
Reason: SelfAttested

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपना हक व हिस्सा प्राप्त करने के लिए वाद प्रस्तुत किया गया है। यह स्वीकृत तथ्य है कि विवाद पारिवारिक

Gautam
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

सदस्यों के मध्य है। इस स्थिति में पक्षकारों के मध्य वाद बहुलता को रोकने के लिए एवं सम्पत्ति की संरक्षा के लिए निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त विवेचन के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 06.09.2022 को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता संलग्न मूल वाद मुकदमा संख्या 148/2022 बअनवान गुड्डी देवी बनाम जयपाल रहे।

आदेश आज दिंनाक 13.10.2025 को लिखवाया जाकर उभयपक्ष को सुनाया गया।

(नयन गौतम) आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 15:48:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner